भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय दंत परिषद DENTAL COUNCIL OF INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

E-mail / Website
ई-मेल / वेबसाइट

सं.डीई-दाखिला(सामान्य)दाखिला-2022/87 — दिनांक 19 अप्रैल, 2022
No.DE-Admission(Gen)-2022 — Dated the April, 2022

सेवा में,

1. ए.डी.जी.(एम.ई.),
चिकित्सा परामर्श समिति,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली
2. सभी राज्यों में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के निदेशक (संलग्न सूची के अनुसार)
3. सभी राज्यों के सभी परामर्श प्राधिकरण (संलग्न सूची के अनुसार)

To,

1. The ADG (ME),
Medical Counseling Committee,
Ministry of Health & Family Welfare,
New Delhi
2. The Director of the Directorate of Medical Education in all States (As per list attached)
3. The Counselling authorities of all the States (As per list attached)

विषय: प्रत्येक छात्र के लिए आवंटन संख्या और तिथि जारी करने के संबंध में सलाह

Sub: **Advisory regarding issuance of allotment number & date for each student**

महोदय,

Sir,

जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डीसीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कठोर प्रयास किए हैं कि सभी यूजी और पीजी डेंटल दाखिले डीसीआई विनियमों एवं भारत सरकार / न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन करते हुये किए जाते हैं। और इस लक्षयप्राप्ति के लिए, डीसीआई द्वारा सभी डेंटल कॉलेजों के कॉलेज अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए अपने दंत चिकित्सा संस्थानों में यूजी / पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों का पूरा विवरण डीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करें। छात्रों के विवरण अपलोड करते समय "आवंटन पत्र संख्या और तिथि" अनिवार्य फ़ील्ड हैं, लेकिन यह डीसीआई के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्यों के परामर्श अधिकारियों द्वारा "आवंटन पत्र संख्या और तिथि" जारी नहीं की जा रहा है।

As you are well aware that the DCI has made its rigorous efforts to ensure that all the UG and PG dental admissions are made in strict compliance with DCI Regulations as well as various directions issued by GOI/Court from time to time. And to achieve the same, college authorities of all dental colleges are being directed to upload the complete details of students admitted in UG/PG Courses at their dental institutions for each academic session, on DCI Website. While uploading the students' details "**allotment letter number and date**" are mandatory fields, but it has come in the notice of DCI that "allotment letter number and date" are not being issued by Counselling authorities of some states.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एमसीसी और राज्यों/डीएमई के सभी परामर्श प्राधिकरणों से अनुरोध है कि वे स्ट्रे वेकेंसी राउंड सहित, काउंसलिंग के प्रत्येक दौर में प्रत्येक छात्र के लिए आवंटन संख्या और तिथि जारी करना सुनिश्चित करें।

कृ.प.उ./Cont'd...2

ऐवान-ए-ग़ालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002 ¤ Aiwan-E-Ghalib Marg, Kotla Road, New Delhi - 110 002
दूरभाष/Phones : 011-23238542, 23236740, ई-मेल/E-mail : secy-dci@nic.in, वेबसाईट/Website : www.dciindia.gov.in

।। सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई - खुद बचें, अपनों को बचाएं! ।।

In view of the above, the MCC and all the counseling authorities of states / DME's are requested to ensure the issuance of allotment number & date for each student at each round of Counselling, including stray vacancy round.

इसे डीसीआई की कार्यकारिणी समिति (24.03.2022) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with approval of the Executive Committee (24.03.2022) of the DCI.

भवदीय / Yours faithfully

(मुकेश कुमार / Mukesh Kumar)
उप-सचिव / Deputy Secretary
भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

प्रति / CC:-

1. अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
   The President, Dental Council of India, New Delhi
2. डीई-55-2022-कार्यकारी समिति (24.03.2022)/12(20)एस
   DE-55-2022-Executive Committee (24.03.2022)/12(20)S
3. गार्ड फाइल
   Guard File